बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

चर्चा में क्यों?

युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिये,**बिहार सरकार** ने 300 करोड़ रुपए की **तीसरी किस्त** आवंटित की है, जिससे **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCY)** के तहत कुल आवंटन 900 करोड़ रुपए हो गया है।

- **बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (BSEFC)**, पटना को आवंटित इस किस्त का उद्देश्य **उच्च शिक्षा** प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिये समय पर और सुलभ **शैक्षिक ऋण** सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

- **योजना की मुख्य विशेषताएँ:**
  - पात्र छात्र **4% वार्षिक ब्याज दर** पर 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  - **महिला**, **दिव्यांग** और **ट्रांसजेंडर छात्रों** के लिये **ब्याज दर सिर्फ 1%** है।
  - ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के **एक वर्ष बाद** या **नौकरी मिलने के छह महीने बाद** शुरू होती है, जो भी पहले हो।
  - 2 लाख रुपए तक के ऋण को अधिकतम 60 किस्तों में चुकाया जा सकता है, जबकि 2 लाख रुपए से अधिक के ऋण को 84 किस्तों में चुकाना होता है।
  - **शीघ्र भुगतान** पर **0.25% की अतिरिक्त ब्याज छूट** प्रदान की जाती है।
  - आवेदन **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY)** पोर्टल के माध्यम से **ऑनलाइन** किये जा सकते हैं।
- **आवेदन एवं पात्रता:**
  - आवेदक बिहार का **स्थायी निवासी** होना चाहिये तथा **12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण** होना चाहिये।
  - आवेदक की **आयु 25 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिये (विशेष मामलों में छूट उपलब्ध है)।
  - इस योजना में **इंजीनियरिंग**, **चिकित्सा**, **प्रबंधन**, **नर्सिंग**, **पॉलिटेक्निक**, BA, BSc, BCom आदि सहित कई पाठ्यक्रम शामिल हैं।
  - ऋण का उपयोग पाठ्यक्रम शुल्क, लैपटॉप खरीदने या अन्य आवश्यक अध्ययन-संबंधी खर्चों के लिये किया जा सकता है।
  - केवल **सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों** में प्रवेश प्राप्त **छात्र ही पात्र** हैं।

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (BSEFC)

- यह मार्च 2018 में **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी और यह 100%**बिहार सरकार के स्वामित्व** में है।
- इस निगम का मुख्य उद्देश्य "**बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना**" को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ लागू करना है:
  - उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना
  - विद्यार्थियों को **रोज़गार के अवसरों** तक पहुँचने में सक्षम बनाना
  - इस योजना के लिये **कार्यान्वयन एजेंसी/सुविधा प्रदाता** के रूप में कार्य करना